न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 10/2023 (RCMS : 2023/36)

1. **सिमरपाल कौर** पत्नी परविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 22 एचएच ढाणी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **सुरेन्द्र सिंह** पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी 22 एचएच तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार (राजस्व)**, करणपुर
3. **ताजप्रीत** पुत्र परविन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 22 एचएच तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री टीटू मदान एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2018 अनवानी सिमरपाल कौर बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, करणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रकरण को खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 39 / 2018 अनवानी सिमरपाल कौर बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested